चुनाव आयोग के निशाने पर आया रामदेव का योग शिविर

Thursday, 10 October 2013 09:40

जनसत्ता संवाददाता

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने गुरुवार से राष्ट्रीय राजधानी में बाबा रामदेव को योग शिविर लगाने की अनुमति दे दी है। वहीं, आयोजकों को चेतावनी दी कि वे आयोजन स्थल का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं करेंगे।

दिल्ली में द्वारका में शिविर लगाने के खिलाफ शिकायत का निपटारा करते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि कार्यक्रम की अनुमति दी जा सकती है लेकिन कुछ शर्तों के साथ। उसने कहा कि शिविर के लिए कोई औपचारिक या प्रचारित उद्घाटन या समापन समारोह नहीं होगा, जिसमें राजनीतिक पदाधिकारी मुख्य अतिथि या विशेष आमंत्रित के तौर पर हिस्सा लेंगे। उसने यह भी कहा कि शिविर में किसी भी राजनीतिक दल की किसी भी माध्यम (प्रिट, इलेक्ट्रॉनिक या डिजीटल) से किसी प्रचार सामग्री के वितरण की अनुमति नहीं होगी।
आयोग ने कहा, ‘आयोजकों को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि शिविर के आयोजन स्थल का इस्तेमाल किसी के भी द्वारा राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं किया जाए।’ आयोग ने कहा कि इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर आयोजकों समेत उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ प्रासंगिक कानूनों,नियमों और आदर्श आचार संहिता के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत शिविर के आयोजन की अनुमति भी वापस ले ली जाएगी। आयोग ने कहा, ‘आयोजकों को यह भी सूचित किया जाता है कि शिविर से कोई भी प्रत्यक्ष, परोक्ष राजनीतिक संदेश को गंभीरता से देखा जाएगा और समूचे खर्च को चुनाव प्रचार के तौर पर लिया जाएगा।’ आयोग ने स्थानीय अधिकारियों से यह भी कहा कि वे आयोजकों से शपथ पत्र लें कि वे उनके समक्ष रखी गई सभी शर्तों का पालन करेंगे। उसने यह भी कहा कि शिविर की वीडियोग्राफी की जाए।

1 / 1